(b) if so, the details thereof; and

(c) the extent to which the joint military exercises would strengthen our power?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) No dates have been finalised as yet for conducting Indo-French joint military exercises. The second meeting of the Indo-French High Committee on Defence Cooperation is expected to be held during 1999.

(c) Conduct of military exercises between the armed forces of India and friendly foreign countries provides an opportunity to the Indian armed forces to gain an insight into the operations and doctrines of the armed forces of the other countries. These also enhance tactical awareness and provide the Indian armed forces an exposure to the systems, equipment, thinking and procedures prevalent in the armed forces of the other countries.

सामाजिक असमानता के कारण जनसंहार

*220. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में सामाजिक असमानता और भेदभाव इस स्तर तक पहुंच गया है कि बिहार, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाज गृह युद्ध की ओर अग्रसर होता हुआ प्रतीत होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राय: इसकी समाप्ति जनसंहार से होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की सामाजिक असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक कारणों से, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हिस्सों में अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप्स के सशस्त्र दस्ते सक्रिय हैं। तथापि, किसी भी राज्य में सिविल-वार जैसी स्थिति नहीं है।

सामाजिक असमानता इत्यादि को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उपाय करना, एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में, राज्य सरकारों से समय-समय पर, प्रभावित क्षेत्रों का बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और संसक्तिशील कार्य योजना के आधार पर इस समस्या का मुकाबला करने के लिए विविध क्षेत्रों जैसे कि लोक शिकायतों का निवारण, बेहतर अभिगमन के लिए समुचित सड़क व्यवस्था, रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर जोर देना, पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना, समुचित भूमि सुधार, आदिवासियों के भूमि की बहाली करना ग्रामीण ऋणग्रस्तता को हटाना तथा विकास कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना, इत्यादि जैसे उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की पुनरीक्षा करने के लिए 15.6.1998 को आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की हैदराबाद में एक बैठक की थी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में इन चार राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को सदस्य के रूप में लेकर गृह मंत्रालय ने एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की है। बाद में, बिहार को भी समन्वय केन्द्र के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इस समन्वय केन्द्र ने अपनी तीन बैठकें 19.7.1998, 12.10.1998 और 4.1.1999 को की है। इन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में यह है कि प्रभावित क्षेत्रों का समेकित विकास करने के लिए राज्यों को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए तथा उन्हें गृह मंत्रालय को भेजना चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ अलग से धन निर्धारित करने के लिए उन्हें आगे योजना आयोग को भेजेगा। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से प्राप्त कार्य योजना को, तद्नुसार योजना आयोग को भेज दिया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

राज्य बिजली बोर्डों को कोयले की आपूर्ति

1551. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य बिजली बोर्ड और कोयला मंत्रालय के बीच कोयला आपूर्ति के संबंध में चल रहे विवाद के कारण विद्युत उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विवाद में हस्तक्षेप किया है;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोयला मंत्रालय को देय राशि का भुगतान न करने के कारण कोयला आपूर्ति को स्थगित करने के आदेश जारी करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राव): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के उत्पादन विवरण से पता चलता है कि कोयला आधारित तापीय विद्युत गृह में पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में अप्रैल, 98 से जनवरी, 99 की अवधि के दौरान उत्पादन में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार औसत पी॰एल॰एफ॰ में 63.3 प्रतिशत से 63.6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों द्वारा विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति, दी गई परेषिती हेतु देय राशि के केवल अग्रिम भुगतान के एवज में करने का निर्णय लिया गया है। इससे "कैश एण्ड कैरी" आधार पर की जाने वाली अपेक्षित आपूर्ति से संबंधित सरकार के निर्णय को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। राज्य विद्युत बोर्डों/संबद्ध राज्य सरकारों को इस पद्धति के अनुपालन करने के संबंध में अनुरोध किया जा रहा है। पुरानी देय राशि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अधिनिर्णायकों की नियुक्ति की गई है तथा भविष्य में विवादों से बचने के लिए कोल इंडिया लि॰ ने विद्युत उपयोगिताओं को यह कहा है कि वे कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार करें जिसमें भुगतान संबंधी शर्तों का स्पष्ट प्रावधान हो।

कोयला संयंत्रों का कार्यकरण

1552. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न कोयला संयंत्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कोयला संयंत्र का कार्य निष्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय गबन के बारे में कोई जांच-पड़ताल की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राव): (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य कोयला रख-रखाव संयंत्र (सीएचपी) के कार्य निष्पादन के संबंध में सूचना मांग रहे हैं, जिसके मामले में उत्तर हां में हैं। इस संबंध में ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान कोल इंडिया लि. की कोयला रख-रखाव संयंत्रों की कंपनी-वार स्थिति (वाशरी सहित)

क्र.सं.	विवरण	ईकोलि	भाकोकोमि	सेकोलि	नाकोलि	वेकोलि	साईकोलि	मकोलि	कोईलि
1.	मुख्य सीएचपी की सं.	10	5	10	7	25	21	4	82
2.	प्रचालन क्षमता (मिटप्रव) (31.3.96 की स्थिति के अनुसार)	20.33	2.56	8.68	30.00	21.72	33.59	10.41	127.29
3.	मुख्य सीएचपी से अनुरक्षित कोयले की मात्रा (मि.ट.) (अप्रैल 95 से मार्च 96)	9.837	0.903	5.187	20.025	21.037	41.802	10.807	109.598
4.	लघु सीएचपी से अनुरक्षित कोयले की मात्रा (मि.ट.) (अप्रैल 95 से मार्च 96)	3.122	8.565	8.637	0.566	3.430	8.233	19.507	52.060
5.	वाशरी के माध्यम से अनुरक्षित कोयले की मात्रा (मि.ट.) (अप्रैल 95 से मार्च 96)	-	7.403	8.636	-	0.695	-	-	16.784
6.	सीएचपी और वाशरी के माध्यम से अनुरक्षित कोयले रखरखाव की कुल मात्रा (अप्रैल 95 से मार्च 96) (मि.ट.)	12.959	16.871	22.510	20.591	25.162	50.035	30.314	178.442